सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाऐं

(क) राज्य योजनाऐं

(1) वृद्धावस्था पैंशन योजना

Old age Pension Scheme

उद्देश्य बेसहारा वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

पात्रता ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इस से अधिक है तथा उनकी देख रेख / पालन पोषण का उचित साधन न हो तथा जिनके अव्यस्क बच्चे हो व जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35,000/– रू0 से अधिक न हो ।

अथवा

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35000/–रू0 से अधिक न हो ।

सहायता **60 वर्ष से 69 वर्ष की आयु के पैंशनरों को 750/– रू0 प्रतिमाह।**
70 वर्ष या इससे अधिक आयु के पैंशनरों को 1300/– रू0 प्रतिमाह।

प्रकिया निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र सीधे तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय को दे सकते है।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

(2) अपंग राहत भत्ता

Disability Relief Allowance

उद्देश्य अपंग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

पात्रता ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें ''व्यक्ति जिनमें अक्षमताऐं हैं (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षारण , एवं पूर्ण भागीदारी)'' अधिनियम 1995 की धारा 2 में अपंगता की परिभाषा के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से जिन्हें 40 प्रतिशत या इस से अधिक स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा जिनके कोई भी व्यस्क बच्चे न हो तथा वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35,000/– रू0 से अधिक न हो। चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रतिशतता प्रमाण –पत्र चाहे वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के मूल्यांकन तथा प्रमाणित करने हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बहु–विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हो, अपंग राहत भत्ता स्वीकृति हेतु मान्य है।
मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को तथा 70 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के पैंशन प्रदान की जाती है।

सहायता

40 से 69 प्रतिशत अपंगता वाले पैंशनरों को 750/– रू0 प्रतिमाह।
70 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता वाले पैंशनरों को 1300/– रू0 प्रतिमाह।
70 वर्ष या इससे अधिक आयु के अपंग पैंशनरों को 1300/– रू0 प्रतिमाह।

प्रक्रिया निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। 70 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता वाले प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र सीधे तहसील कल्याण अधिकारी / जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को दे सकते है।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

(3) विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन योजना

Pension Scheme for Widow/ Deserted / Single Women

उद्देश्य विधवा/परित्यक्त/एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

पात्रता ऐसी महिला जो विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख–रेख / पालन–पोषण का उचित साधन न हो तथा न ही व्यस्क पुत्र हो व उनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से 35,000/– रू0 से अधिक न हो ।

अथवा

ऐसी विधवा/परित्यकता/एकल नारी जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से 35,000/– रू0 से अधिक न हो ।

सहायता 750/– रू0 प्रतिमाह

70 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा पैंशनरों को 1300/– रू0 प्रतिमाह।

प्रक्रिया निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

(4) कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता

Rehabilitation Allowance to Lepers

उद्देश्य	कुष्ठ रोगिया सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
पात्रता	ऐसे कुष्ठ रोगी जो किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/ निगमों/बोर्डो इत्यादि में कार्यरत न हो तथा स्वास्थ्य विभाग के उपचाराधीन हों को कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता प्रदान किया जाता है। भत्ता प्राप्त करने के लिए आयु तथा आय सीमा लागु नहीं है।
सहायता	750/– रू0 प्रतिमाह। 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के कुष्ठ रोगियों को 1300/– रू0 प्रतिमाह।
प्रक्रिया	कुष्ठ रोगी को भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होता है जिसके साथ स्वास्थ्य विभाग से कुष्ठ रोग उपचाराधीन प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतू सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।
सम्पर्क अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

(5) **ट्रांसजैन्डर पैंशन योजना**

Transgender Pension Scheme

उद्देश्य	सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
पात्रता	ऐसे ट्रांसजैन्डर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा के ट्रासजैन्डर पैंशन हेतु पात्र हैं।
सहायता	750/– रू0 प्रतिमाह। 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के ट्रांसजैन्डर पैंशनरों को 1300/– रू0 प्रतिमाह।
प्रक्रिया	ट्रांसजैन्डर के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान सम्बन्धी जारी प्रमाण–पत्र तथा स्वयं घोषित शपथ–पत्र सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताऐं अपने स्तर पर पूर्ण कार्रवाई की जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।
सम्पर्क अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

****